



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी राहुल को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राहुल पुत्र सुरेन्द्र निवासी एकता बिहार कालोनी थाना सदर जनपद पानीपत हरियाणा के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 348/2012 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राहुल को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice





प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 31.05.2025

बागपत पुलिस ने 18 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 18 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-मन्शा उर्फ गंगाराम पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत।

2-ताहिर पुत्र हकीमुद्दीन निवासी ग्राम पलडी थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-मुस्तकीम पुत्र सलीम नि0वार्ड नं0 6 मस्जिद के सामने वाली गली नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज के पास/ मौ0 मुगलपुरा थाना बागपत

4-मीर हसन पुत्र मोहम्मद नि0 ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत

5-अबलू पुत्र मोहम्मद नि0 ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत



- 6-गौरव उर्फ मुल्ला पुत्र गंगाशरण नि0 मोहल्ला पट्टी पधानों ढिकौली थाना चांदीनगर बागपत
- 7-इरशाद पुत्र जमशैद नि0 ग्राम अंगदपुर जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत
- 8-अभियुक्त अब्बास पुत्र घसीटा थाना नि0 ग्राम चन्दायन थाना बिनौली जनपद बागपत
- 9-धनराज पुत्र महेन्द्र नि0 ग्राम शाहपुर बाणगंगा थाना बिनौली जनपद बागपत
- 10-सिकन्दर उर्फ भाई पुत्र मुन्शी निवासी ग्राम औसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत
- 11-प्रवेश पुत्र रूपेन्द्र निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 12-खुशींद पुत्र शफी निवासी ग्राम आसिफपुर खड़खड़ी थाना बडौत जनपद बागपत
- 13-ताहिर पुत्र मेहरदीन निवासी ग्राम बड़का थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 14-सचिन पुत्र धर्मवीर निवासी निकट गुराना रोड़ गली नम्बर 05 के सामने बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 15-दिलशाद पुत्र वकील निवासी गली नम्बर 08 मौ0 विजयनगर बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।
- 16-दीपक उर्फ भूरा पुत्र हरपाल उर्फ राजेन्द्र उम्र 36 वर्ष नि0 ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत
- 17-विपिन पुत्र विरेन्द्र निवासी ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत
- 18-रोहित पुत्र संजीव कुमार निवासी पट्टी औरंगाबाद करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना दोघट पुलिस टीम । (02 वारंटी)
- 2-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 3-थाना चांदीनगर पुलिस टीम । (03 वारंटी)
- 4-थाना बिनौली पुलिस टीम । (03 वारंटी)
- 5-थाना बडौत पुलिस टीम । (06 वारंटी)
- 6-थाना रमाला पुलिस टीम । (02 वारंटी)
- 7-थाना खेकड़ा पुलिस टीम । (01 वारंटी)



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 31.05.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध पौनिया .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पौनिया .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 303/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



अनुरोध- बागपत पुलिस द्वारा अनुरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारों का प्रदर्शन ना किया जाये, यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र इकबाल उर्फ बाबू निवासी मौहल्ला कुरेशियान कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध पौनिया .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1 उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2.उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

3.है0का0 653 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 31.05.25

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, 02 किलो 150 ग्राम अवैध चरस व एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेन्डर प्रो फर्जी नम्बर प्लेट लगी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 किलो 150 ग्राम अवैध चरस तथा एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेडर प्रो फर्जी नम्बर प्लेट लगी बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बंध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 195/25 धारा 8/20 N.D.P.S ACT व 317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.उमर पुत्र जाकिर निवासी पुराना रोड करबा व थाना बडौत जिला बागपत ।
2. अंकित पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम हजूरबाद गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण -

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर ।
- 02 किलो 150 ग्राम अवैध चरस ।
- एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेंडर प्रो फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 दिग्विजय सिंह थाना सि0 हीर जनपद बागपत
- 2-उ0नि0 पुलकित सिंह राहल थाना सि0 अहीर जनपद बागपत
- 3-उ0नि0 आदित्य कुमार थाना सि0 अहीर जनपद बागपत
- 4-उ0नि0दलजीत सिंह थाना सि0 अहीर जनपद बागपत
- 5-है0का0 622 दिनेश कुमार थाना सि0 अहीर जनपद बागपत
- 6-का0 479 कुलदीप शर्मा थाना सि0 अहीर जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 31.05.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 193/25 धारा 305ए बीएनएस व मु0अ0सं0 194/25 धारा 305ए बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल स्प्लेन्डर प्लस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण—

1.दिनांक 30.05.25 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी विरेन्द्र पंवार पुत्र भीमा सिंह निवासी ग्राम तैडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि मो0सा0 सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर से वादी का मोबाइल फोन चोरी कर लिया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 193/25 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



2.दिनांक 31.05.25 को थाना सिंघावली अहीर प वादी शेरखान पुत्र साबूदीन निवासी ग्राम बरसिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि मो0सा0 सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी का मोबाइल फोन चोरी कर लिया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 194/25 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा

थाने के मु0अ0सं0 193/25 धारा 305ए बीएनएस व मु0अ0सं0 194/25 धारा 305ए बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों 1.सचिन, 2.इंतजार व 3.गौरव को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल स्प्लेन्डर प्लस बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-सचिन पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम तेडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-इंतजार पुत्र रहीशु निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-गौरव पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम तेडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण –

- चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन वीवो
- घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल स्प्लेन्डर प्लस न0 UP17Y3299

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0श्री दलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2.उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3. है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4. है0का0 210 दानवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

